

क्रैता- जयमनी देवी
ग्राम- बेन्दोटाँडे टोला- +++
थाना -कसमार जिला- बोकारो

आदेश पर की ग
कार्रवाई के बारे
टिप्पणी तारीख व
साथ।

यह वाद आवेदक मिथलेश प्रसाद महतो, कमलेश कुमार महतो दोनों पिता स्व० काशीनाथ महतो निवासी ग्राम बेन्दोटॉड थाना कसमार जिला -बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
बेन्दोटॉड	70	35	128	28 डी0	05 डी0	आ० योग्य
			129	03 डी0	03 डी0	आ० योग्य

को वे बहन की शादी हेतु मो० 1,00,000/- (एक लाख) रुपये में क्रेता- जयमनी देवी पति हरिलाल महता ग्राम बेन्दोर्टोड थाना -कसमार जिला- बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख)/ के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 560 रा०, दिनांक 18.10.2016 के माध्यम से अंचल अधिकारी, कसमार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, कसमार के पत्रांक 665 दिनांक 28.11.2016 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेतागण एवं क्रेता दोनो कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेतागण एवं क्रेता दोनों ग्राम-बेन्दोटॉड एवं थाना-कसमार जिला-बोकारो का निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में काशीनाथ महतो के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी भुवनेश्वर महतो वगैरह के नाम से पंजी-11 के पृष्ठ सं० 25 ए/1 केवाला के आधार पर में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2015-16 तक निर्गत है। बिक्रेता को यह भूमि आपसी बँटवारा द्वारा हासिल है।
03. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।
04. जमाबंदी रैयत से बिक्रेता का पिता का संबंध है बिक्री की जानेवाली भूमि बिक्रेता के हक-हिस्से एवं दखल कब्जा है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेतागण द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके पूर्वज काशीनाथ महतो के नाम सर्वे खतियान में दर्ज है तथा जमाबन्दी भुवनेश्वर महतो के नाम से चल रही है बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है,

तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. विक्रेतागण- केवाला की छायाप्रति जिसका डीड नं० 3049 एवं दिनांक 27.04.54 है स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता-स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंश अधिकारी कसमार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेतागण एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग जाति के अंतर्गत आते हैं तथा वे दोनों एक ही ग्राम, थाना एवं जिलान्तर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेतागण के हिस्से की खरीदगी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक मिथलेश प्रसाद महतो, कमलेश कुमार महतो दोनों पिता स्व० कारीनाथ महतो ग्राम बेन्दोटॉड थाना कसमार जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

मौजा	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
बेन्दोटॉड 64	35	128	28 डी०	05 डी०	भुवनेश्वर महतो	दुलु महतो	जागेश्वर महतो	रास्ता
		129	03 डी०	03 डी०	भुवनेश्वर महतो	दुलु महतो	जागेश्वर महतो	रास्ता
08(आठ) डीरिमल मात्र।								

मो० 1,00,000/- (एक लाख) या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता- जयमनी देवी पति हरिलाल महतो ग्राम बेन्दोटॉड थाना -कसमार जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।